The Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2010

Act 12 of 2010

Keyword(s):
Pension, Officer, Member, Chairman, Speaker, Reimbursement, MLA, Emoluments, Vidhan Sabha, Legislative Assembly, Partly Repealed

Amendments appended: 19 of 2012, 18 of 2014, 17 of 2015

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 9, गुरुवार, शाके 1932–अप्रेल 29, 2010 *Vaisakha 9, Thursday, Saka 1932–April 29, 2010*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 29, 2010

संख्या प. 2 (22) विधि/2/2010:–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स एण्ड पेंशन) (अमेन्डमेंट) एक्ट, 2010 (एक्ट नं. 12 ऑफ 2010)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 12)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अप्रेल, 2010 को प्राप्त हुई]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 3 का संशोधन.– राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और

पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6), जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,–

(क) उप–धारा (1) में,–

(i) खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''अठारह हजार रुपये'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''तेईस हजार रुपये'' प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अगस्त, 2009 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी;

(ii) खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''सोलह हजार रुपये'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''इक्कीस हजार रुपये'' प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अगस्त, 2009 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

(ख) उप–धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 13) के प्रारंभ की तारीख से'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''1 अगस्त, 2009 से'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 3–क का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 3–क में,–

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति ''राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 12) के प्रारंभ की तारीख से'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''1 अगस्त, 2009 से'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति ''चौदह हजार रुपये प्रतिमास'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''बीस हजार रुपये प्रतिमास'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 12) के प्रारंभ की तारीख से

पांच हजार रुपये प्रतिमास'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''1 अगस्त, 2009 से दस हजार रुपये प्रतिमास'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4–क का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 4–क में विद्यमान उप–धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धाराएं प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

''(1) 1 अगस्त, 2009 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो राजस्थान विधान सभा सदस्य के रूप में,–

(i) निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, पांच हजार रुपये की पेंशन;

(ii) निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, छह हजार रुपये की पेंशन;

(iii) निरन्तर या अन्यथा दस वर्ष से अधिक किन्तु पन्द्रह वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, सात हजार रुपये की पेंशन;

(iv) निरन्तर या अन्यथा पन्द्रह वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, आठ हजार रुपये की पेंशन;

(v) निरन्तर या अन्यथा बीस वर्ष से अधिक किन्तु पच्चीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, नौ हजार रुपये की पेंशन;

(vi) निरन्तर या अन्यथा पच्चीस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, दस हजार रुपये की पेंशन;

(vii) निरन्तर या अन्यथा तीस वर्ष से अधिक किन्तु पैंतीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, ग्यारह हजार रुपये की पेंशन;

(viii) निरन्तर या अन्यथा पैंतीस वर्ष से अधिक किन्तु चालीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, बारह हजार रुपये की पेंशन;

(ix) निरन्तर या अन्यथा चालीस वर्ष से अधिक किन्तु पैंतालीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, तेरह हजार रुपये की पेंशन;

(x) निरन्तर या अन्यथा पैंतालीस वर्ष से अधिक किन्तु पचास वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, चौदह हजार रुपये की पेंशन;

(xi) निरन्तर या अन्यथा पचास वर्ष से अधिक किन्तु पचपन वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, पन्द्रह हजार रुपये की पेंशन;

(xii) निरन्तर या अन्यथा पचपन वर्ष से अधिक किन्तु साठ वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, सोलह हजार रुपये की पेंशन;

(xiii) निरन्तर या अन्यथा साठ वर्ष से अधिक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, सत्रह हजार रुपये की पेंशन, प्रतिमास संदत्त की जायेगी :

परन्तु किसी भी व्यक्ति की ऐसी कालावधि के लिए ऐसी किसी पेंशन का संदाय नहीं किया जायेगा जिसके दौरान उसे संसद् या किसी भी राज्य विधान–मण्डल के सदस्य के रूप में या किसी भी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है और यदि ऐसा कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है, तो उस कालावधि के लिए पेंशन का संदाय स्थगित रहेगा :

परन्तु यह और कि जहां ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसा सदस्य होने के कारण या ऐसे किसी पद धारण या इस प्रकार नियोजित होने के फलस्वरूप संदेय वेतन या पारिश्रमिक किसी भी दशा में इस धारा के अधीन संदेय पेंशन से कम हो तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन पेंशन के रूप में केवल उनका अंतर प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन पेंशन का हकदार होने के साथ ही किसी भी विधि के अधीन या अन्यथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी

संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक होने से या सांसद् या किसी अन्य राज्य विधान–मण्डल या दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य होने से या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम से या किसी स्थानीय प्राधिकरण से किसी पेंशन का भी हकदार होता है, तो,–

(क) जहां पेंशन की रकम, जिसके लिए वह ऐसी किसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार है, सत्रह हजार रुपये प्रतिमास के बराबर या उससे अधिक है, वहां ऐसा व्यक्ति इस उप–धारा के अधीन किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा; और

(ख) जहां पेंशन की रकम, जिसके लिए वह ऐसी किसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार है, सत्रह हजार रुपये प्रतिमास से कम है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसी अन्य पेंशन के अतिरिक्त, इस उप–धारा के अधीन पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा तथापि इस बात के अध्यधीन रहते हुए कि दोनों पेंशनों का योग सत्रह हजार रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण I.–इस धारा के अधीन पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणित करने में उस कालावधि को गिना जायेगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति राजस्थान विधान सभा की सदस्यता के आधार पर मंत्री या इस अधिनियम में यथा परिभाषित कोई अधिकारी या दोनों रहा हो।

स्पष्टीकरण II.–यदि पांच वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पूर्व ही विधान सभा विघटित कर दी जाती है, तो विधान सभा के सदस्य के रूप में कालावधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आम चुनाव के पश्चात् विधान सभा गठित होने की तारीख से प्रारम्भ होकर उसका विघटन होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि पांच वर्ष की कालावधि समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण III.–इस धारा के अधीन पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कुल वर्षों की संख्या की संगणना करने में किसी व्यक्ति की राजस्थान विधान सभा की सदस्यता की अवधि में वह अवधि भी सम्मिलित की जायेगी जिस अवधि में वह संसद अथवा भूतपूर्व अजमेर राज्य की विधान सभा का सदस्य रहा हो।

स्पष्टीकरण IV.–इस धारा के प्रयोजन के लिए वेतन के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन प्राप्त वेतन और निम्नलिखित के रूप में प्राप्त वेतन भी है :–

(i) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक; या

(ii) संसद् या किसी राज्य विधान–मण्डल का सदस्य; या

(iii) भारत सरकार या किसी राज्य का मंत्री या उपमंत्री; या

(iv) राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् का सभापति या उपसभापति; या

(v) लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य।

स्पष्टीकरण V.–इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन की रकम संगणित करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 के अधीन या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।

स्पष्टीकरण VI.–इस धारा के अधीन उस व्यक्ति के संबंध में पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, जो विधान सभा के लिए किसी उपचुनाव में निर्वाचित होता है, वर्षों की संगणना करने में, जिस तारीख को ऐसा व्यक्ति अपनी सदस्यता की शपथ लेता है उससे प्रारम्भ होने वाली और विधान सभा के विघटन की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि को पांच वर्ष समझा जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों, यदि कोई हों, के अध्यधीन 1 अप्रेल, 2010 से,–

(क) चिकित्सीय उपचार के लिए किसी व्यय के पुनर्भरण के लिए उसी के समतुल्य का हकदार होगा जो राज्य सरकार के प्रथम वर्ग की सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनुज्ञेय है; और

(ख) दो निःशुल्क अनन्तरणीय पासों का भी हकदार होगा जो उसे और उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सेवा द्वारा चाहे जिस किसी भी पथ पर यह संचालित हो, ऐसी श्रेणी में और ऐसी शर्तों के

अध्यधीन जो विहित की जायें, किसी भी समय यात्रा का हकदार बनायेंगे :

परन्तु जहां ऐसा व्यक्ति तत्समय पूर्वोक्त सुविधाओं में से किसी के लिए भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक होने से या सांसद् या किसी अन्य राज्य विधान–मण्डल या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का सदस्य होने से या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम से या किसी स्थानीय प्राधिकरण से किसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार हो तो वह उस सीमा तक उक्त सुविधा का हकदार नहीं होगा।''।

6. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4–ग और 4–घ का अन्तःस्थापन.–मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4–ख के पश्चात् और विद्यमान धारा 5 के पूर्व निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :–

''**4–ग. भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को कौटुम्बिक पेंशन.**–किसी मृतक भूतपूर्व सदस्य का पति या पत्नी 1 अगस्त, 2009 से या ऐसे सदस्य की मृत्यु की तारीख से, जो भी बाद में हो, दो हजार पांच सौ रुपये या ऐसे सदस्य द्वारा अंतिम आहरित पेंशन के पचास प्रतिशत के बराबर, जो भी अधिक हो, प्रतिमास कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु–

(i) यदि इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन का हकदार व्यक्ति किसी भी अन्य स्रोत से कोई वेतन या पेंशन प्राप्त करता है, तो,–

(क) जहां अन्य स्रोत से प्राप्य वेतन या पेंशन की रकम इस धारा के अधीन प्राप्य कौटुम्बिक पेंशन के बराबर या उससे अधिक है, वहां ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा; और

(ख) जहां अन्य स्रोतों से प्राप्य वेतन या पेंशन की रकम इस धारा के अधीन प्राप्य कौटुम्बिक पेंशन की रकम से कम है, वहां ऐसा व्यक्ति अन्य स्रोत से ऐसे वेतन या पेंशन

के अतिरिक्त इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा, तथापि, इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन और अन्य स्रोत से वेतन या पेंशन, कुल मिलाकर दोनों इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन के रूप में संदेय अधिकतम रकम से अधिक नहीं होंगी;

(ii) यदि ऐसे सदस्य के पति या पत्नी का पुनर्विवाह हो जाता है तो उसे इस धारा के अधीन कोई पेंशन संदत्त नहीं की जायेगी; और

(iii) जहां ऐसे सदस्य की एक से अधिक पत्नियां उत्तरजीवित रहती हैं, वहां इस धारा के अधीन संदेय कौटुम्बिक पेंशन की रकम ऐसी पत्नियों को बराबर भागों में संदत्त की जायेगी।

4–घ. भूतपूर्व सदस्यों को निःशुल्क यात्रा सुविधा.–(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा की है वह स्वयं के द्वारा या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति सहित रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में पच्चीस हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें, 1 अप्रेल, 2010 से किसी यात्रा के वास्तविक किराये का पुनर्भरण प्राप्त करने का हकदार होगा।

7. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 5 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 5 की विद्यमान उप–धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धाराएं प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

"(1) 1 अगस्त, 2009 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् पदभार सम्भाले, जो भी बाद में हो, सरकारी मुख्य सचेतक को बाईस हजार रुपये प्रति मास और सरकारी उप मुख्य सचेतक को बीस हजार रुपये प्रति मास वेतन संदत्त किया जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन संदेय वेतन के साथ–साथ सरकारी मुख्य सचेतक और सरकारी उप मुख्य सचेतक को 1 अगस्त, 2009 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् पदभार सम्भाले, जो भी बाद में हो, सरकारी मुख्य सचेतक और

सरकारी उप मुख्य सचेतक को बीस हजार रुपये प्रति मास सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।''।

8. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 6 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 6 की विद्यमान उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

''(1) विपक्ष के नेता को 1 अगस्त, 2009 से या उस तारीख से, जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करता है, जो भी बाद में हो, बाईस हजार रुपये वेतन और बीस हजार रुपये सत्कार भत्ता प्रति मास संदत्त किया जायेगा।''।

9. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''चार सौ रुपये'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''सात सौ रुपये'' और विद्यमान अभिव्यक्ति ''पांच सौ रुपये'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आठ सौ रुपये'' प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अगस्त, 2009 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

10. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8–ख का संशोधन.–मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8–ख में,–

(क) विद्यमान उप–धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धाराएं प्रतिस्थापित की जायेंगी और 1 अप्रैल, 2010 से प्रतिस्थापित हुई समझी जायेंगी, अर्थात्:–

''(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा की है वह स्वयं के द्वारा या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति सहित रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें, 1 अप्रेल, 2010 से किसी यात्रा के वास्तविक किराये का पुनर्भरण प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) जहां उप–धारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की कुल रकम एक लाख रुपये से कम है वहां, एक लाख रुपये के पुनर्भरण की रकम से कम रह गई

रकम आगामी वित्तीय वर्ष या वर्षों में अग्रनीत की जायेगी और वह सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय सदस्य के रूप में ऐसी रकम का उपयोग करने का हकदार होगा।''; और

(ख) उप–धारा (3) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति ''एक कलैण्डर वर्ष के भीतर पचहत्तर हजार रुपये'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''किसी एक वित्तीय वर्ष के भीतर एक लाख रुपये'' प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2010 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी;

11. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8–ग का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 8–ग की उप–धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''बीस हजार'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''तीस हजार'' प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अगस्त, 2009 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

12. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8–घ का संशोधन.–मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8–ग के पश्चात् और विद्यमान धारा 9 के पूर्व निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2010 से अन्तःस्थापित की हुई समझी जायेगी, अर्थात्:–

''**8–घ. सदस्यों को सचिवालयिक सहायता.**–प्रत्येक सदस्य को, राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में यथाविनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन सं. 9 से अनधिक की ग्रेड वेतन में वेतन आहरित करने वाला एक कर्मचारी सचिवालयिक सहायक के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा या, सदस्य के विकल्प पर, सचिवालयिक सहायक के बदले में सदस्य को बीस हजार रुपये प्रतिमाह की एकमुश्त राशि संदत्त की जायेगी।''

एस. एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 29, 2010

No. F. 2 (22) Vidhi/2/2010.–The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on the 28th day of April, 2010 and is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2010

(Act No. 12 of 2010)

[Received the assent of the Governor on the 28th day of April, 2010]

An

Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.–(1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 6 of 1957.–In section 3 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), hereinafter in this Act referred to as the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) in clause (a), for the existing expression “eighteen thousand rupees”, the expression “twenty three thousand rupees” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st August, 2009;

(ii) in clause (b), for the existing expression “sixteen thousand rupees”, the expression “twenty one

thousand rupees" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st August, 2009; and

(b) in sub-section (2) for the existing expression "the date of the commencement of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2005 (Act No. 13 of 2005)", the expression "1st August, 2009" shall be substituted.

3. Amendment of section 3-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.–In section 3-A of the principal Act,-

(a) for the existing expression "the date of the commencement of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2006 (Act No. 12 of 2006)", the expression "1st August, 2009" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "fourteen thousand rupees", the expression "twenty thousand rupees" shall be substituted.

4. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 6 of 1957.–In section 4 of the principal Act, for the existing expression "five thousand rupees per mensem with effect from the date of commencement of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2006 (Act No. 12 of 2006)", the expression "ten thousand rupees per mensem with effect from 1st August, 2009" shall be substituted.

5. **Amendment of section 4-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.–**In section 4-A of the principal Act, for the existing sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely :-

"(1) With effect from 1st August, 2009 there shall be paid per mensem to every person, who has served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly-

(i) for any period upto five years, whether continuous or not, a pension of rupees five thousand;

(ii) for any period beyond five years but upto ten years, whether continuous or not, a pension of rupees six thousand;

(iii) for any period beyond ten years but upto fifteen years, whether continuous or not, a pension of rupees seven thousand;

(iv) for any period beyond fifteen years but upto twenty years, whether continuous or not, a pension of rupees eight thousand;

(v) for any period beyond twenty years but upto twenty five years, whether continuous or not, a pension of rupees nine thousand;

(vi) for any period beyond twenty five years but upto thirty years, whether continuous or not, a pension of rupees ten thousand;

(vii) for any period beyond thirty years but upto thirty five years, whether continuous or not, a pension of rupees eleven thousand;

(viii) for any period beyond thirty five years but upto forty years, whether continuous or not, a pension of rupees twelve thousand;

(ix) for any period beyond forty years but upto forty five years, whether continuous or not, a pension of rupees thirteen thousand;

(x) for any period beyond forty five years but upto fifty years, whether continuous or not, a pension of rupees fourteen thousand;

(xi) for any period beyond fifty years but upto fifty five years, whether continuous or not, a pension of rupees fifteen thousand;

(xii) for any period beyond fifty five years but upto sixty years, whether continuous or not, a pension of rupees sixteen thousand;

(xiii) for any period beyond sixty years, whether continuous or not, a pension of rupees seventeen thousand :

Provided that no such pension shall be paid to any person for the period during which such person was or is in receipt of any

salary as Member of Parliament or any State Legislature or from any State Government or the Central Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any local authority and if any such salary was or is received the payment of pension shall be suspended for that period :

Provided further that the salary or remuneration payable to such person for being such member or for holding such office or being so employed, is in any case less than the pension payable to him under this section, such person shall be entitled only to receive the balance as pension under this section :

Provided further also that where any person entitled to pension under this section is also entitled to any pension as the President, Vice-President or Governor of any State or the Administrator of any Union Territory or as Member of Parliament or of any other State Legislature or the Metropolitan Council of Delhi or from the Central Government, or any State Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any local authority, under any law or otherwise, then, –

(a) where the amount of pension to which he is entitled under such law or otherwise is equal to or more than seventeen thousand rupees per mensem such person shall not be entitled to any pension under this sub-section; and

(b) where the amount of pension to which he is entitled under such law or otherwise is less than seventeen thousand rupees per mensem, such person shall be entitled to receive pension under this sub-section in addition to such other pension subject, however, that the aggregate of both the pension shall not exceed seventeen thousand rupees per mensem.

Explanation I.–In computing the number of years for the purposes of determining pension under this section, the period

during which a person has served as a Minister or as an officer as defined in this Act, or both, by virtue of his membership of the Rajasthan Legislative Assembly shall be taken into account.

Explanation II.–If the Legislative Assembly is dissolved before the expiration of the period of five years, for the purpose of computing the period as Member of the Legislative Assembly the period commencing with the date of the constitution of the Legislative Assembly after the General Election and ending with the date of dissolution, shall be deemed to be five years.

Explanation III.–In computing the aggregate number of years for the purpose of determining pension under this section, the period during which a person has served as a Member of Parliament or as a Member of the Legislative Assembly of erstwhile State of Ajmer shall be included in the period for which a person has served as a Member of the Rajasthan Legislative Assembly.

Explanation IV.–For the purpose of this section, salary includes salary received under this Act and salary received as:-

(i) the President or Vice-President or Governor of any State or the Administrator of any Union Territory; or

(ii) a Member of the Parliament or any State Legislature; or

(iii) a Minister or Deputy-Minister of the Government of India or any State; or

(iv) the Chairman or Deputy-Chairman of the Council of States, or the Legislative Council of any State; or

(v) the Speaker or Deputy-Speaker of the House of the People, or of the Legislative Assembly of any State or as a Member of the Metropolitan Council of Delhi constituted under section 3 of the Delhi Administration Act, 1966.

Explanation V.–In computing the amount of pension payable to any person under this section, the amount of pension received by him under the Rajasthan Freedom Fighters Aid Rules, 1959 or under any other rules made on the same subject shall not be taken into account.

Explanation VI.–In computing the number of years for the purpose of determining pension under this section with respect to a person who is elected to the Legislative Assembly in a bye-election, the period commencing with the date on which such person takes oath of his membership and ending with the date of dissolution of the Assembly shall be deemed to be five years.

(2) With effect from 1st April, 2010, every person entitled to pension under sub-section (1), subject to rules, if any, made in this behalf by the State Government,-

(a) shall be entitled to reimbursement of any expenditure on account of medical treatment equivalent to that permissible to the retired officers of class I services of the State Government; and

(b) shall also be entitled to two free non-transferable passes which would entitle him and any other person accompanying him to travel at any time by the Rajasthan State Road Transport Corporation Service on whichever routes it operates, in such class of accommodation and subject to such conditions as may be prescribed :

Provided that where such person is also entitle to any of the aforesaid facilities for the time being as the President, Vice-President, or Governor of any State or the Administrator of any Union Territory or as Member of Parliament or of any other State Legislature or the National Capital Territory of Delhi or from the Central Government or any State Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government, or any local authority, under any law or otherwise, he shall not be entitled to that facility to that extent.".

6. Insertion of section 4-C and 4-D, Rajasthan Act No. 6 of 1957.–After the existing section 4-B and before the existing section 5 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

"4-C. Family pension to the spouse of the Ex-member.–The spouse of a deceased Ex-member shall be

entitled with effect from 1st August, 2009 or with effect from the date of death of such member, whichever is later, to receive per mensem a family pension equal to rupees two thousand five hundred or equal to fifty percent of the last drawn pension by such member, whichever is higher:

Provided that –

(i) if the person entitled to a family pension under this section is in receipt of any salary or pension from any other source, then,-

(a) where the amount of salary or pension being received from other source is equal to or more than the family pension receivable under this section, such person shall not be entitled to any pension under this section; and

(b) where the amount of salary or pension being received from other source is less than the amount of family pension receivable under this section, such person shall be entitled to receive family pension under this section in addition to such salary or pension from other source subject, however, that the aggregate of both the family pension under this section and the salary or pension from other source shall not exceed the maximum amount payable under this section as family pension;

(ii) if the spouse of such member remarries, he or she shall not be paid any pension under this section; and

(iii) where more than one wife has survived such member, the amount of family pension payable under this section shall be paid to such wives in equal shares.

4-D. Free travelling facility to Ex-members.–(1) With effect from 1st April, 2010, every person, who has

served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled to receive reimbursement of actual fare of any journey undertaken by him, either alone or with persons accompanying him, within the territory of India in any class of railway, air, ship or steamer, subject to a maximum limit of rupees twenty five thousand in a financial year, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by rules made in this behalf.".

7. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 6 of 1957.–In section 5 of the principal Act, for the existing sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:-

"(1) There shall be paid, with effect from 1st August, 2009 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, a salary of twenty two thousand rupees per mensem to the Government Chief Whip and a salary of twenty thousand rupees per mensem to the Deputy Government Chief Whip.

(2) In addition to the salary payable under sub-section (1), there shall be paid, with effect from 1st August, 2009 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, to the Government Chief Whip and the Deputy Government Chief Whip, a sumptuary allowance of twenty thousand rupees per mensem.".

8. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 6 of 1957.–For the existing sub-section (1) of section 6 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) There shall be paid to the Leader of the Opposition, with effect from 1st August, 2009 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, a salary of twenty two thousand rupees and a sumptuary allowance of twenty thousand rupees per mensem.".

9. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 6 of 1957.-In clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the principal Act, for the existing expression "four hundred rupees", the expression "seven hundred rupees" and for the existing expression "five hundred rupees", the expression "eight hundred rupees" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st August, 2009.

10. Amendment of section 8-B, Rajasthan Act No. 6 of 1957.-In the existing section 8-B of the principal Act,-

(a) for the existing sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2010, namely:-

"(1) Every member shall be entitled to receive reimbursement of actual fare of any journey undertaken by him, either alone or with persons accompanying him, within the territory of India in any class of railway, air, ship or steamer, subject to a maximum limit of rupees one lakh in a financial year, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by rules made in this behalf.

(2) Where the total amount of reimbursement received in a financial year under sub-section (1) is less than rupees one lakh, the amount by which the amount of reimbursement is less than one lakh shall be carried forward in next financial year or years and the member shall be entitled to utilize such amount at any time before expiry of his term as member."; and

(b) in proviso to sub-section (3), for the existing expression " rupees seventy five thousand within a calendar year", the expression "rupees one lakh within a financial year" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2010.

11. Amendment of section 8-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.–In sub-section (1) of section 8-C of the principal Act, for the existing expression "twenty thousand", the expression "thirty thousand" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st August, 2009.

12. Insertion of section 8-D, Rajasthan Act No. 6 of 1957.–After the existing section 8-C and before the existing section 9 of the principal Act, the following section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st April, 2010, namely:-

> **"8-D. Secretarial Assistance to members.-** Every member shall be provided with an employee, drawing pay in a Grade Pay not exceeding the Grade Pay No. 9 as specified in the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, by the revenue department of the State Government as secretarial assistance or, at the option of the member, a lump sum amount of twenty thousand rupees per mensem shall be paid to the member in lieu of the secretarial assistance.".

एस. एस. कोठारी,
Principal Secretary to the Government.

20

Government Central Press, Jaipur.

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority
वैशाख 26, बुधवार, शाके 1934–मई 16, 2012
Vaisakha 26, Wednesday, Saka 1934–May 16, 2012

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, May 16, 2012

No. F. 2 (30) Vidhi/2/2012.–The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 15th day of May, 2012 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2012

(Act No. 19 of 2012)

[Received the assent of the Governor on the 15th Day of May 2012]

An

Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 3 of the Rajasthan Legislative Assembly

(Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) in clause (a), for the existing expression "twenty three thousand rupees", the expression "thirty three thousand rupees" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012; and

(ii) in clause (b), for the existing expression "twenty one thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012; and

(b) in sub-section (2), for the existing expression "1st August, 2009", the expression "1st April, 2012" shall be substituted.

3. Amendment of section 3-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 3-A of the principal Act,-

(a) for the existing expression "1st August, 2009", the expression "1st April, 2012" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees" shall be substituted.

4. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 4 of the principal Act, for the existing expression "ten thousand rupees per mensem with effect from 1st August, 2009" , the expression "fifteen thousand rupees per mensem with effect from 1st April, 2012" shall be substituted.

5. **Amendment of section 4-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.-** In section 4-A of the principal Act, for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) With effect from 1st April, 2012 there shall be paid to every person, who has served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly for any period upto five years, whether continuous or not, a pension of rupees seven thousand five hundred per mensem and an additional pension of rupees one thousand per mensem for every year or part thereof, whether continuous or not, beyond the aforesaid period of five years:

Provided that no such pension shall be paid to any person for the period during which such person was or is in receipt of any salary as Member of Parliament or any State Legislature or from any State Government or the Central Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any local authority and if any such salary was or is received the payment of pension shall be suspended for that period:

Provided further that the salary or remuneration payable to such person for being such member or for holding such office or being so employed, is in any case less than the pension payable to him under this section, such person shall be entitled only to receive the balance as pension under this section:

Provided also that pension payable to a person under this section shall be increased by twenty percent if he has attained the age of seventy years and shall be increased by thirty percent if he has attained the age of eighty years.

Explanation I.- In computing the number of years for the purposes of determining pension under this section, the period during which a person has served as a Minister or as an officer as defined in this Act, or both, by virtue of his membership of the Rajasthan Legislative Assembly shall be taken into account.

Explanation II.- If the Legislative Assembly is dissolved before the expiration of the period of five years, for the purpose of computing the period as Member of the Legislative Assembly the period commencing with the date of the constitution of the Legislative Assembly after the General Election and ending with the date of dissolution, shall be deemed to be five years.

Explanation III.- For the purpose of this section, salary includes salary received under this Act and salary received as:-

(i) the President or Vice-President or Governor of any State or the Administrator of any Union Territory; or

(ii) a Member of the Parliament or any State Legislature; or

(iii) a Minister or Deputy-Minister of the Government of India or any State; or

(iv) the Chairman or Deputy-Chairman of the Council of States, or the Legislative Council of any State; or

(v) the Speaker or Deputy-Speaker of the House of the People, or of the Legislative Assembly of any State.

Explanation IV.- In computing the amount of pension payable to any person under this section, the amount of pension received by him under the Rajasthan Freedom Fighters Aid Rules, 1959 or under any other rules made on the same subject shall not be taken into account.

Explanation V.- In computing the number of years for the purpose of determining pension under this section with respect to a person who is elected to the Legislative Assembly in a bye-election, the period commencing with the date on which such person takes oath of his membership and ending with the date of dissolution of the Assembly shall be deemed to be five years.".

6. Amendment of section 4-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- The existing provisions of section 4-C of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after the existing sub-section (1) so renumbered,-

(i) the following explanations shall be added with effect from 28th April, 2010, namely:-

"**Explanation I.-** For the purpose of this section 'last drawn pension', in respect of a member of the Legislative Assembly who had died or resigned before the expiry of his term of his office shall be the amount to which such member would have been entitled under section 4-A on the day immediately following the day of his death or, as the case may be, resignation, and in respect of an Ex-member who did not draw pension before his death, shall be the amount to which such member would have been entitled under section 4-A on the day immediately following the day of expiry of his last term of office.

Explanation II.- In computing the amount of pension payable to any person under this section, the amount of pension received by him under the Rajasthan Freedom Fighters Aid Rules, 1959 or under any other rules made on the same subject shall not be taken into account."; and

(ii) the following sub-section shall be added, namely:-

"(2) With effect from 1st April, 2012 every person entitled to family pension under this section, subject to

rules, if any, made in this behalf by the State Government, shall be entitled to reimbursement of any expenditure on account of medical treatment equivalent to that permissible to the retired officers of class I services of the State Government.".

7. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 5 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) for the existing expression "1st August, 2009", the expression "1st April, 2012";

(b) for the existing expression "twenty two thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees"; and

(c) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "twenty seven thousand rupees",

shall be substituted; and

(ii) in sub-section (2),-

(a) for the existing expression "1st August, 2009", the expression "1st April, 2012"; and

(b) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees",

shall be substituted.

8. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 6 of the principal Act,-

(a) for the existing expression "1st August, 2009", the expression "1st April, 2012";

(b) for the existing expression "twenty two thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees"; and

(c) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees",

shall be substituted.

9. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the principal Act,-

(a) for the existing expression "seven hundred rupees", the expression "one thousand rupees"; and

(b) for the existing expression "eight hundred rupees", the expression "one thousand two hundred fifty rupees",

shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012.

10. Amendment of section 8-B, Rajasthan Act No. 6 of 1957.-In the existing section 8-B of the principal Act ,-

(a) in sub-section (1), for the existing expression “rupees one lakh”, the expression “rupees one lakh fifty thousand” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012;

(b) in sub-section (2), for the existing expression “rupees one lakh”, the expression “rupees one lakh fifty thousand” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012; and

(c) in proviso to sub-section (3), for the existing expression “rupees one lakh”, the expression “rupees one lakh fifty thousand” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012.

11. Amendment of section 8-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.-In sub-section (1) of section 8-C of the principal Act, for the existing expression “thirty thousand”, the expression “forty thousand” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012.

12. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In clause (iii) of sub-section (1) of section 9 of the principal Act,-

(i) for the existing expression “fifty thousand rupees”, the expression “eighty thousand rupees” shall be substituted; and

(ii) for the existing expression “the date of commencement of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1998 (Act No. 5 of 1998)”, the expression “1st April, 2012” shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 16, 2012

संख्या प. 2 (30)विधि/2/2012.-राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (ऑफीसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स एण्ड पेंशन) (अमेन्डमेंट) एक्ट, 2012 (एक्ट नं. 19 ऑफ 2012)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्यांक 19)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 मई, 2012 को प्राप्त हुई]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं 6 **क़ी धारा** 3 **का संशोधन.**-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं 6), जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "तेईस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तैंतीस हजार रुपये"

प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

(ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इक्कीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं 6 **की धारा** 3-**क का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा **3-**क में**,-**

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर अभिव्यक्ति " तीस हजार रुपये प्रतिमास" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" और अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पंद्रह हजार रुपये प्रतिमास" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-क में विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1) 1 अप्रेल, 2012 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो राजस्थान विधान सभा सदस्य के रूप में, निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, सात हजार पांच सौ रुपये की पेंशन और उपर्युक्त पांच वर्ष की कालावधि से अधिक निरंतर या अन्यथा प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए एक हजार रुपये की अतिरिक्त पेंशन प्रति मास संदत्त की जायेगी :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को ऐसी कालावधि के लिए ऐसी किसी पेंशन का संदाय नहीं किया जायेगा जिसके दौरान उसे संसद् या किसी भी राज्य विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में या किसी भी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है और यदि ऐसा कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है, तो उस कालावधि के लिए पेंशन का संदाय स्थगित रहेगा:

परन्तु यह और कि जहां ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसा सदस्य होने के कारण या ऐसे किसी पद धारण या इस प्रकार नियोजित होने के फलस्वरूप संदेय वेतन या पारिश्रमिक किसी भी दशा में इस धारा के अधीन उसे संदेय पेंशन से कम हो तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन पेंशन के रूप में केवल उनका अंतर प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु यह भी कि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन में, यदि उसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करली हो तो बीस प्रतिशत की वृद्धि, और यदि उसने अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो तीस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

स्पष्टीकरण I.- इस धारा के अधीन पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणित करने में उस कालावधि को गिना जायेगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति राजस्थान विधान सभा की सदस्यता के आधार पर मंत्री या इस अधिनियम में यथा परिभाषित कोई अधिकारी या दोनों रहा हो।

स्पष्टीकरण II.- यदि पांच वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पूर्व ही विधान सभा विघटित कर दी जाती है, तो विधान सभा के सदस्य के रूप में कालावधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आम चुनाव के पश्चात् विधान सभा गठित होने की तारीख से प्रारम्भ होकर उसका विघटन होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि पांच वर्ष की कालावधि समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण III.- इस धारा के प्रयोजन के लिए वेतन के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन प्राप्त वेतन और निम्नलिखित के रूप में प्राप्त वेतन भी है:-

(i) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक; या

(ii) संसद् या किसी राज्य विधान-मण्डल का सदस्य; या

(iiii) भारत सरकार या किसी राज्य का मंत्री या उपमंत्री; या

(iv) राज्य सभा, या किसी राज्य की विधान परिषद् का सभापति या उपसभापति ; या

(v) लोक सभा, या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष।

स्पष्टीकरण IV.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन की रकम संगणित करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 के अधीन या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।

स्पष्टीकरण V.- इस धारा के अधीन उस व्यक्ति के संबंध में पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, जो विधान सभा के लिए किसी उपचुनाव में निर्वाचित होता है, वर्षों की संगणना करने में, जिस तारीख को ऐसा व्यक्ति अपनी सदस्यता की शपथ लेता है उससे प्रारम्भ होने वाली और विधान सभा के विघटन की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि को पांच वर्ष समझा जायेगा।"।

6. 1957 क़े राजस्थान अधिनियम सं.6 क़ी धारा 4-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-ग में विद्यमान उपबंधों को उप-धारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात्,-

(i) 28, अप्रेल, 2010 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण-I.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसे विधान सभा सदस्य के संबंध में, जो अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व मर चुका है या त्यागपत्र दे चुका है, "अंतिम आहरित पेंशन" वह

रकम होगी, जिसका वह उसकी मृत्यु या, यथास्थिति, त्यागपत्र के दिन से ठीक अगले दिन धारा 4-क के अधीन प्राप्त करने का हकदार रहा होता, और ऐसे भूतपूर्व सदस्य के संबंध में, जिसने अपनी मृत्यु से पूर्व पेंशन आहरित न की हो, वह रकम होगी जो ऐसा सदस्य, उसकी पदावधि समाप्त होने के दिन से ठीक अगले दिन धारा 4-क के अधीन प्राप्त करने का हकदार रहा होता।

स्पष्टीकरण-II.- इस धारा के अधीन संदेय किसी भी पेंशन की रकम की संगणना करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।"; और

(ii) निम्नलिखित उप-धारा जोडी़ जायेगी, अर्थात् :-

"(2) इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार प्रत्येक व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियम, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए, 1 अप्रेल, 2012, से चिकित्सीय उपचार के मद्धे किसी व्यय की ऐसी प्रतिपूर्ति का हकदार होगा, जो राज्य सरकार की सेवाओं के सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अनुज्ञेय है।"।

7. 1957 क़े राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(i) उप-धारा (1) में -

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012";

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "बाईस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये"; और

(ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सत्ताईस हजार रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (2) में -

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति " 1 अप्रेल, 2012"; और

(ख) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति " तीस हजार रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में,-

(क) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति " 1 अप्रेल, 2012";

(ख) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "बाईस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति " तीस हजार रुपये"; और

(ग) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति " तीस हजार रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में,-

(क) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "सात सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये"; और

(ख) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "आठ सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार दो सौ पचास रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

10. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्‌यमान धारा 8-ख में,-

(क) उप-धारा (1) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "एक लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक लाख पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रैल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी और विद्‌यमान अभिव्यक्ति " 1 अप्रेल, 2010 से" हटायी जायेगी;

(ख) उप-धारा (2) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "एक लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक लाख पचास हजार

रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रैल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

(ग) उप-धारा (3) के परन्तुक में विद्‌यमान अभिव्यक्ति "एक लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक लाख पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

11. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8-ग की उप-धारा (1) में विद्‌यमान अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

12. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (iii) में,-

(i) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति" "अस्सी हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं.5) के प्रारम्भ की तारीख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

13

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

सत्यमेव जयते	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 16, बुधवार, शाके 1936–अक्टूबर 8, 2014 *Asvina 16, Wednesday, Saka 1936-October 8, 2014*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, October 8, 2014

No. F. 2 (37) Vidhi/2/2014.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 8th day of October, 2014 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2014
(Act No. 18 of 2014)

[Received the assent of the Governor on the 8th day of October, 2014]

An

Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 4-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 4-C of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957),-

(i) for the existing expression "1st August, 2009", the expression "1st August, 2014" shall be substituted; and

(ii) for the existing expression "rupees two thousand five hundred", the expression "rupees three thousand five hundred" shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)
अधिसूचना
जयपुर, अक्टूबर 8, 2014

संख्या प. 2 (37) विधि/2/2014.–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स एमोल्यूमेंट्स एण्ड पेंशन) (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2014 (एक्ट नं. 18 ऑफ 2014)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2014
(2014 का अधिनियम संख्यांक 18)
[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 अक्टूबर, 2014 को प्राप्त हुई]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-ग का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4-ग की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2014" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "दो हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "तीन हजार पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,

प्रमुख शासन सचिव।

3

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 7, सोमवार, शाके 1937–अप्रेल 27, 2015 *Vaisakha 7, Monday, Saka 1937-April 27, 2015*	

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 27, 2015

No. F. 2 (34) Vidhi/2/2015.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 24th day of April, 2015 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2015

(Act No. 17 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 24th day of April, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 4-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 4-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and

Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) for the existing expression "1st April, 2012", the expression "1st April, 2015" shall be substituted;

(b) for the existing expression "rupees seven thousand five hundred", the expression "rupees fifteen thousand" shall be substituted; and

(c) for the existing expression "rupees one thousand", the expression "rupees one thousand two hundred" shall be substituted.

3. Amendment of section 4-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 4-C of the principal Act,-

(a) for the existing expression "1st August, 2014", the expression "1st April, 2015" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "rupees three thousand five hundred", the expression "rupees six thousand two hundred twenty five" shall be substituted.

4. Amendment of section 8-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 8-C of the principal Act, for the existing expression "rupees forty thousand per month", the expression "rupees fifty thousand per month" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2015.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 27, 2015

संख्या प. 2 (34) विधि/2/2015.–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी राजस्थान लेजिसलेटिव एसेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स

इमोल्यूमेन्ट्स एण्ड पेंशन) (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2015 (एक्ट नं. 17 ऑफ 2015)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 17)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-क का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं 6), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4-क की उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2015" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "सात हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पन्द्रह हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-ग की उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2014" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2015" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "छह हजार दो सौ पच्चीस रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8-ग की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2015 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

दीपक माहेश्वरी,

प्रमुख शासन सचिव।

4

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।